

# झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची

बी० ए० संख्या-54/2020

मंटू चौधरी उर्फ रवि शंकर चौधरी ..... याचिकाकर्ता  
बनाम्

झारखण्ड राज्य ..... विपक्षी पक्ष

कोरम : माननीय न्यायमूर्ति श्री रोंगन मुखोपाध्याय

याचिकाकर्ता के लिए: श्री मोहित प्रकाश, अधिवक्ता।

राज्य के लिए: श्रीमती लिली सहाय, ए०पी०पी०।

2/14.01.2020 पक्षों को सुना।

याचिकाकर्ता, टी० टंगर थाना काण्ड संख्या 42 वर्ष 2019 के संबंध में एक अभियुक्त है।

याचिकाकर्ता और एक अन्य व्यक्ति को एक वाहन से पकड़ा गया और वाहन की तालशी लेने पर 175.5 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया।

याचिकाकर्ता और एक अन्य आरोपी व्यक्ति के कब्जे से बरामद गांजा की भारी मात्रा के संदर्भ में, मैं याचिकाकर्ता को जमानत देने के लिए इच्छुक नहीं हूँ। इसलिए जमानत के लिए उनकी प्रार्थना को इस स्तर पर खारिज कर दिया गया है।

(रोंगन मुखोपाध्याय, न्याया०)